आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-00532/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360400532
अशोक कुमार सिंह एजुकेशनल एव चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम सरकार उ०प्र० आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

अशोक कुमार सिंह एजुकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट जरिये अध्यक्ष श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम महरूपुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर ने सरकार उ0प्र0 व गॉव सभा को प्रतिपक्ष बनाते हुए आराजी नं0 123/0.109 हे0, 79/0.113 हे0 व 119/0.376 हे0 में से 0.113 हे0 स्थित मौजा महरूपुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के आलोक में तहसील से हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 24.01.2019/25.01.2019/24.01.2019/28.01.2019/28.01.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम महरूपुर स्थित दानशुदा आराजी नं0 119/0.376 हे0 में से 0.113 हे0 व आराजी नं0 123/0.109 हे0 व 79/0.113 हे0 बराबर 2गाटा/0.222 हे0 कुल 3गाटा/0.335 हे0 सम्पूर्ण का प्रार्थी काबिज दखील है। आराजी नं0 119/0.376 हे0 व 123/0.109 हे0 एक दूसरे से सटे हुए है। उक्त आराजी नम्बर पर एजुकेशनल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आधे से अधिक भाग का निर्माण हो चुका है। उक्त आराजी नम्बर चारो तरफ से लगभग 7 फीट ऊँची बाउन्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। उक्त आराजी नम्बर से कुछ दूर स्थित आराजी नं0 79/0.113 हे0 भूमि कई वर्षो से परती पड़ा है तथा वर्तमान में नींव खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आराजी नं0 119/0.376 हे0 में से 0.113 हे0 व आराजी नं0 123/0.109 हे0 व 79/0.113 हे0 बराबर 2गाटा/0.222 हे0 सम्पूर्ण बराबर कुल 3गाटा/0.335 हे0 भूमि सम्पूर्ण गैर कृषिक करने योग्य है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु0 270680/–रू0 उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा मु0 270700/–रू0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 24.01.2019/25.01.2019/24.01.2019/28.01.2019/28.01.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा महरूपुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 119/0.376 हे0 में से 0.113 हे0 व आराजी नं0 123/0.109 हे0 व 79/0.113 हे0 कुल 3गाटा/0.335 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

29/01/19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

72
29-1-19
29-1-19
29-1-19

सत्य प्रतिलिपि
रीडर/पेशकार
उप जिलाधिकारी
सदर जौनपुर
29-1-19